IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.19917 of 2016

==========

Rita Kumari, W/o Shyama Nand Tiwari, resident of Mohalla - Mohanpur Grid, Dudhpur, P.S. Moffassil, District - Samastipur

.... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary H.R.D., Govt. of Bihar, Patna
2. Principal Secretary H.R.D., Govt. of Bihar, Patna
3. Director, Primary Education, Govt. of Bihar, Patna
4. Regional Deputy Director of Education, Patna, Dabhanga Division, Darbhanga Cum Appellate Authority, Darbhannga
5. Distict Education Officer, Samastipur
6. Distict Programme officer, Establishment, Samastipur

.... Respondent/s

==========

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Sanjay Parasmani, Advocate
For the Respondent/s : Mr. Subhash Chandra Mishra- SC16

==========

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE ANIL KUMAR UPADHYAY
ORAL JUDGMENT
Date: 17-04-2018

Heard learned counsel for the petitioner and State.

2. The petitioner is aggrieved by the order as contained in Memo no. 918, dated 06.08.2016 (Annexure-7).

3. The appellate Authority instead of addressing the issue raised in the appeal has decided the appeal in most apologetical manner. The relevant part of the consideration of the appellate authority reads as follows: Page no.28 and 29:

> "निदेशक (प्रा0शि0) बिहार, पटना के उक्त पत्र की कंडिका 4 में अंकित निदेश निम्नवत है :–
>
> "उपर्युक्त स्थिति में अंकित करना है कि नियुक्ति प्राधिकार के इतर यदि उक्त अन्य प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर मैट्रिक/इंटर प्रशिक्षित शिक्षक ने शैक्षणिक योग्यतावर्धन किया

WEB COPY

हो तो उनके प्रोन्नति पर विचार इस शर्त पर किया जायगा कि उनके द्वारा जिस अवधि में महाविधालय के नियमित छात्र के रूप में स्नातक/ स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की गयी हो, उस अवधि में उपस्थित रहकर वेतन प्राप्त नही किया गया हो। साथ ही यदि संबंधित शिक्षक के द्वारा पत्राचार माध्यम से अथवा स्वतंत्र छात्र के रूप में योग्यतावर्द्धन किया गया हो तो उनके प्रोन्नति पर विचार।" "जिला प्रारंभिक प्रोन्नति समिति" के द्वारा इस आधार पर किया जा सकता है कि संबंधित शिक्षक के द्वारा परीक्षा अवधि में विधिवत अवकाश लिया गया हो।

उक्त परिपेक्ष्य में अपीलकर्ता के अपील आवेदन का अभिप्राय यह है कि नियुक्ति प्राधिकार से इतर अन्य प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर शैक्षणिक योग्यता बढ़ायी गई हो तो उनकी प्रोन्नति पर विचार इस शर्त पर किया जाना है कि नियमित छात्र के रूप में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की गई हो ता उक्त अवधि में विधालय में उपस्थित रहकर वेतन प्राप्त नही किया गया हो।

चूँकि अपीलकर्ता शिक्षिका, के द्वारा नियुक्ति प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर शैक्षणिक योग्यता बढ़ायी गयी है। अतः उनका विचार है कि उक्त शर्त्त (निदेश) उन पर लागू नही होना चाहिए। परंतु जिला शिक्षा अधीक्षक, मधबनी के ज्ञापांक 4321 दिनांक 02.12.92 के द्वारा अपीलकर्ता शिक्षिका को जिन शर्तों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गयी उसे उनके द्वारा नजर अंदाज किया जा रहा है।

जिला शिक्षा अधीक्षक, मधुबनी के द्वारा श्रीमतो रीता कुमारी को शैक्षणिक योग्यतावर्द्धन हेतु दिये गये अनुमति संबंधी आदेश की कंडिका (3) में

WEB COPY

अंकित शर्त स्वतः स्पष्ट है जिसमें यह अंकित है कि "नियमित परीक्षार्थियों के लिए विश्वविधालय द्वारा विर्निदिष्ट वर्ग में उपस्थिति का प्रतिशत पूरा करने हेतु सक्षम पदाधिकारियों से अधतन अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा" परंतु शिक्षिका के द्वारा इस शर्त का पालन किया गया या नही के सबंध में स्थिति स्पष्ट नही की गई है। फलतः इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभागीय निदेशानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, समस्तीपुर से अपील अभ्यावेदन के आलोक में प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार प्रोन्नति समिति के निर्णयानुसार इस प्रकार के शिक्षकों का मामला निदेशक (प्रा0शि0) बिहार, पटना को मार्ग दर्शन हेतु भेजा जा चुका हैं। वर्णित स्थिति में इस मामले में निदेशक (प्रा0शि0) बिहार, पटना के आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई / निर्णय लिया जाना नियमानुकूल होगा।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, समस्तीपुर को आदेश दिया जाता है कि निदेशक (प्रा0शि0) बिहार, पटना से मार्ग–दर्शन प्राप्त कर प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में श्रीमति रीता कुमारी के प्रोन्नति के मामले में अगतर कार्रवाई की जाय।

उक्त आदेश के साथ मामले को निष्पादित किया जाता है।

4. From perusal of the relevant part of Annexure-7, it is manifest that the Appellate Authority has not decided the issue and he

WEB COPY

has simply completed the formality.

5. Learned counsel for the petitioner submits that the case of the petitioner was not finally adjudicated by the RDDE, Darbhanga Division-cum-Appellate Authority and in the meanwhile the case of others have been considered.

6. Considering the above, the writ application is disposed of with a direction to the RDDE, Darbhanga Division, Darbhanga to finally decide the claim of the petitioner instead of taking apologetic stand take final decision with regard to the entitlement of the petitioner within a maximum period of 30 days from the date of receipt/production of a copy of this order.

7. In the event, the petitioner's claim is found genuine, the petitioner shall be granted all consequential benefits from the date similarly circumstanced/juniors to the petitioner have been granted such benefit.

8. With the aforesaid, the writ application stands disposed of.

(Anil Kumar Upadhyay, J)

Uday/-

AFR/NAFR	NAFR
CAV DATE	NA
Uploading Date	25.04.2018
Transmission Date	

WEB COPY